मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की स्थापना में 220 पदों के सृजन हेतु ₹ 1521.63 लाख का व्यय संभावित है । इस वित्तीय वर्ष में ₹ 25.00 लाख का व्यय भार संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 25,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 200.00 लाख तथा वाई-फाई एक्सेस पाइंट की स्थापना तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 909.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 11,09,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 3

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 7.20 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 7,20,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 4

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण के क्रय हेतु ₹ 25.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजनो हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 5

1. 50 विभिन्न न्यायालय के न्यायाधीशों (10 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, 27 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, 13 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2) एवं उनके अमले के लिए 360 पदों के सृजन हेतु ₹ 2092.00 लाख का व्यय संभावित है।

2. जिला एवं सत्र न्यायालय बीजापुर की स्थापना में 44 पदों के सृजन हेतु ₹ 145.00 लाख का व्यय संभावित है।

3. जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में वाहन चालक के 03 पदों के सृजन हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

4. ई-कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय के लिए हार्डवेयर इंजीनियर एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के 596 पदों के सृजन हेतु ₹ 2664.00 लाख का व्यय संभावित है।

5. अधीनस्थ न्यायालयों हेतु स्वीकृत 42 व्यवहार न्यायाधीशों के सपोर्टिंग स्टाफ हेतु 252 पदों के सृजन हेतु ₹ 928.50 लाख का व्यय संभावित है।

6. चीफ कोर्ट मैनेजर के 01 एवं सीनियर कोर्ट मैनेजर के 12 पद, कुल 13 पदों के सृजन हेतु ₹ 123.75 लाख का व्यय संभावित है।

कुल 1268 पदों के सृजन हेतु ₹ 5963.25 लाख का व्यय संभावित है । इस वित्तीय वर्ष में ₹ 500.00 लाख का व्यय भार अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 5,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 6

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण के क्रय हेतु ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 4,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 7

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 8

फास्ट ट्रेक कोर्ट मुंगेली की स्थापना में 9 पदों के सृजन हेतु ₹ 33.00 लाख का व्यय संभावित है । इस वित्तीय वर्ष में ₹ 33.00 लाख का व्यय भार संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 33,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 9

फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो कोर्ट के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 32.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 60.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 92,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 10

फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 15,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 11

कॉमर्शियल कोर्ट के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 5.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 11.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 16,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 12

शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक कार्यालय में 50 पदों के सृजन हेतु ₹ 182.00 लाख का वार्षिक व्यय संभावित है । इस वित्तीय वर्ष में ₹ 10.00 लाख का व्यय भार संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 13

शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक कार्यालय में कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 20,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 14

परिवार न्यायालय कटघोरा की स्थापना में 19 पदों के सृजन हेतु ₹ 473.74 लाख का व्यय संभावित है । इस वित्तीय वर्ष में ₹ 50.00 लाख का व्यय भार अनुमानित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 15

परिवार न्यायालय के लिए फर्नीचर एवं उपकरण के क्रय हेतु ₹ 50.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 16

परिवार न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 17

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु ₹ 1500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 15,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 18

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की स्थापना में 19 पदों के सृजन हेतु ₹ 57.00 लाख का वार्षिक व्यय संभावित है। इस वित्तीय वर्ष में ₹ 10.00 लाख का व्यय भार संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 19

विधि एवं विधायी कार्य विभाग में कम्प्यूटर सह उपकरण के क्रय हेतु ₹ 22.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 22,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 20

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण के क्रय हेतु ₹ 20.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 30,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 21

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 9.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 9,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 22

माननीय उच्च न्यायालय आवासीय परिसर में टेंकर के क्रय हेतु ₹ 30.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 30,50,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 23

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 07 हल्का वाहन क्रय हेतु ₹ 49.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 49,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 24

परिवार न्यायालय के लिए 04 हल्का वाहन क्रय हेतु ₹ 36.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 36,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 25

कॉमर्शियल कोर्ट के न्यायिक अधिकारी के लिए 01 वाहन के क्रय हेतु ₹ 7.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 7,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 26

विधि एवं विधायी कार्य विभाग के लिए 02 वाहनों के क्रय हेतु ₹ 15.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 15,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

विशेष न्यायालयों के स्थापना के लिए फर्नीचर एवं उपकरण के क्रय हेतु ₹ 12.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 30.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 42,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

विशेष न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 9.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 9,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 1

केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत 26 न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु ₹ 3000.00 लाख (लागत राशि ₹ 20000.00 लाख) का व्यय भार अनुमानित है।

जिला न्यायालय, व्यवहार न्यायालय एवं परिवार न्यायालयों में सी. सी. टी. व्ही. एवं कैमरा के संस्थापन हेतु ₹ 230.00 लाख का व्यय भार अनुमानित है।

केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों के 206 (बी टाईप-10, सी टाईप-11, डी टाईप-99, ई टाईप-28, एफ टाईप-58) आवासीय भवन निर्माण हेतु ₹ 1500.00 लाख (लागत राशि ₹ 10000.00 लाख) का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 47,30,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 2

न्यायिक कर्मचारियों के 83 (जी टाईप-18, एच टाईप-41, आई टाईप- 24) आवासीय भवन निर्माण हेतु ₹ 600.00 लाख (लागत राशि ₹ 1164.00 लाख) का व्यय भार अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 6,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।